(2) वृद्धों के लिए आश्रय
(Homes for Older Persons)

उद्देश्य बेसहारा वृद्धों को आश्रय देना।
पात्रता 60 वर्ष से अधिक आयु के बेसहारा वृद्ध।
सहायता आश्रम में बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क आवास, भोजन, कपडा तथा बीमारी की स्थिति में दवाईयां इत्यादि उपलब्ध करवाई जाती है।
प्रक्रिया वृद्ध आश्रम में प्रवेश के लिए सादे कागज पर सम्बन्धित पंचायत की सिफारिश सहित सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी अथवा सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्थाओं को आवेदन करना होगा।
प्रदेश में संचालित आश्रम प्रदेश में विभागीय अनुदान से निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर वृद्ध आश्रम चलाये जा रहे हैः–

(1) हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड शिमला वृद्ध आश्रम बसन्तपुर (शिमला)।
(2) हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद शिमला वृद्ध आश्रम बैजनाथ (कांगडा)।
(3) बल्ह वैली कल्याण सभा भंगरोटू: वृद्ध आश्रम भंगरोटू (मण्डी)।

सम्पर्क–अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, सचिव, हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड/महा सचिव, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद शिमला/सचिव, बल्ह वैली कल्याण सभा भंगरोटू (मण्डी)।